



विकास पथ, गाजियाबाद

(I.S.O.9001:2015 एवं I.S.O.14001:2015 प्रमाणित संस्था)

पत्र संख्या:

155 / 4 / ई.ई.जोन-5 / 2020

दिनांक: 20-8-2020

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।

विषय:- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनाल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.144 हे० एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंगा कैनाल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 0.6716 हे० एवं बाधक 91 वृक्षों के पालन कुल 0.8156 हे० संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक उप वन महानिरीक्षक केन्द्रीय के पत्र सं०-8बी/यू०पी०/०६/१०२/२०१९/एफ०सी०/४८१ दिनांक ०७.०१.२०२० का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से उनके द्वारा "Since the user agency is State Government as recommended by DFO, CA to be taken upto equivalent Non-forest Land (NFL) instead of degraded forest land. Accordingly, raised CA scheme of plantation on 0.8156 ha. Od NFL shall be submitted," की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदया द्वारा मधुवन बापूधाम आवासीय योजना में निर्माणाधीन NPR के समानान्तर वृक्षारोपण हेतु छोड़ी गयी भूमि हस्तान्तरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त भूमि के ऊपर से हाइटेशन लाईन गुजरने के कारण आपके विभाग द्वारा निरीक्षण कर वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त न होने के कारण स्वीकार नहीं की गयी तथा आपके द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं०-४०२३/१४-१ दिनांक गाजियाबाद २० फरवरी २०२० द्वारा दूसरी भूमि उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया है। पुनः उपाध्यक्ष महोदया द्वारा NPR के दूसरी तरफ योजना में ग्रीनवेल्ट हेतु आरक्षित भूमि को वृक्षारोपण के लिए हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि की मापें एवं क्षेत्रफल की गणना कर साथ में संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(Handwritten signature)

(मानवेंद्र कुमार सिंह)

अधिशाली अभियन्ता जोन-५

पृष्ठांकन:

/ 4 / ई.ई.जोन-५ / २०२०

दिनांक:

प्रतिलिपि:-

(Handwritten signature)

1. उपाध्यक्ष महोदया को अवलोकनार्थ।
2. सचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियन्ता महोदय को सूचनार्थ।

(Handwritten signature)